


11  
निगं 5143/2015/रीवा/रु.रा.०

M237  
92  
207

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म.प.

श्री जितेंद्र अग्रणी एड.  
व्याज वेग/ 4-11-15

10  
4-11-15  
सदस्य मण्डल म.प. रीवा  
(सर्किट कोर्ट) रीवा



R. 5143-97715

1. हर्षाल तनय ददोले कुमाहा, उम्र-75 वर्ष
  2. श्री निवास तनय हर्षाल कुमाहा, उम्र-57 वर्ष
  3. छो देलाल तनय हर्षाल कुमाहा, उम्र-50 वर्ष
  4. कमला प्रसाद तनय हर्षाल कुमाहा, उम्र-48 वर्ष
- सभी निवासी ग्राम मझगवां, तहसील तयोथर, जिला रीवा म.प.

----- आवेदक/निगरानीकर्ता गण

बनाम

1. उर्मिला देवी पत्नी रामा औतार गुप्ता
  2. रमेश प्रसाद तनय गया प्रसाद
  3. मोहम्मद अली मोहम्मद अली यादव तनय मोतीलाल यादव
- सभी निवासी ग्राम मझगवां, तह. तयोथर जिला रीवा म.प.

----- जना.गेर निम.गण

निगरानी विस्तृत आदेश अर क्लैक्टर रीवा  
जिला रीवा म.प. के प्रकरण क्रमांक 48 बी  
12/मूल/2014-15 में पारित आदेश दिनांक  
14.8.2015

निगरानी अन्तर्गत ~~कानून~~ धारा 50 म.प.  
भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

यह कि अधीनस्थ न्यायालय अर क्लैक्टर महोदय रीवा द्वारा

01-

दावेनाल

..2/1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R5143-IV/15

जिला-रीवा

हर्षलाल कुशवाहा/ उर्मिला देवी गुप्ता

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र अवस्थी सौधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 48/बी-121/मूल/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">( महेशप्रन्द्र चौधरी ) सदस्य</p>	